भारत संघ और अन्य

बनाम

रणछोड़ व अन्य

4 दिसंबर, 2007

[जी. पी. माथुर और जी. एस. सिंघवी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश XLI नियम 31- मूल डिक्री का विरुद्ध अपील भूमि अधिग्रहण रेफ्रन्स कोर्ट द्वारा पारित मुआवजा जिसके विरुद्ध अपील की गई है – हाई कोर्ट द्वारा बिना अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किये एक संक्षिप्त व गूढ आदेश से अपील का निस्तारण कर दिया गया - अभिनिर्धारित : अनिवार्य प्रावधनों आदेश XII नियम 31 की पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है – परिणामस्वरूप, हाई कोर्ट के आदेश को अपास्त किया गया- मामले को पुनः विचार कर हाई कोर्ट को निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किया गया – धारा 54 भूमि अधिग्रहण नियम 1894।

भारत सरकार ने फायरिंग रैंज स्थापित करने के लिए भूमि के बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया, कलेक्टर ने भूमि धारकों को मुआवजा प्रदान किया। भूमि धारकों ने मुआवजे में वृद्धि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा के तहत संदर्भ दिये जाने की मांग की। संदर्भ

न्यायालय ने असंचित और कृषि योग्य भूमि के लिए और सिंचित भूमि धाारकों और भारत संघ दोनों ने अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त आदेश द्वारा अपीलें खारीज कर दीं।

अपीलों के अन्य समूह में राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। भूस्वामियों को मुआवजे को दिया गया। रेंफरेंस न्यायालय ने मुआवजा बढ़ाया, भूमिधारकों ने संदर्भ न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त और गूढ आदेश द्वारा इसका निपटारा किया। अपीलार्थी-राज्य ने एक समीक्षा याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया। अतः वर्तमान अपीलें प्रस्तुत हुई।

अपीलों को अनुमति दी गई और मामले को उच्च न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु भेजा गया।

अभिनिर्धारित-

1.1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 54 में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अधीन बताया गया है, जो मूल डिक्री से अपील पर लागू होते हैं, और कुछ समय के लिए लागू किसी भी अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, एक अपील की जायेगी। केवल इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में उच्च न्यायालय को अवार्ड से, या न्यायालय के अवार्ड के किसी भी भाग से झूठ बोलना होगा।[पैरा 5] [877-ई, एफ]

1.2 . आदेश XLI सी. पी. सी. मूल डिक्री से अपील से संबधित है। आदेश XLI नियम 31 में कहा गया है कि अपीलीय अदालत का निर्णय लिखित रूप में होगा और इसमें (ए) निर्धारण के बिन्दु (बी) उस पर निर्णय (सी) निर्णय के कारण, और (डी) जहां डिक्री को अपील में उलटा गया या परिवर्तित किया गया, वहां अपीलकर्ता किस राहत का हकदार है, बताया जाएगा। [पैरा 6] [877-जी]

2.1. तत्काल मामले में, बड़ी संख्या में भूमिधारक थे जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और उन्होंने अधिनियम की धारा 9 के तहत अलग-अलग आपत्तियां दायर की और अधिनियम की धारा 18 के तहत अलग से संदभर् मांगे। वे रेफरेंस न्यायालय के समक्ष अपने मामलों के समर्थन में अलग से सबूत पेश करते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक ही मामले में बड़ी संख्या में पक्ष हों और पेश किए गये सबूत उन सभी के लिए सामान्य हों। मुआवजे के निधार्रण के मामले में बड़ी संख्या में कारकों को देखना होगा, जैसे कि भूमि की प्रकृति और गुणवत्ता, चाहे वह सिंचित हो या असिंचित, सिंचाई के लिए सुविधाएं जैसे कि कुएँ आदि का अस्तितत्व, फल देने वाले पेड़ों की उपस्थिती, भूमि का स्थान, किसी भी सड़क या राजमार्ग से निकटता, भूमि की समतलता, अर्थात्, चाहे उसका स्तर समतल है या उसमें गड्ढे आदि हैं, बरसात के मौसम में इसकी स्थिति, अर्थात्, वर्षा में पानी जमा होता है या नहीं, किसी भवन या

संरचना का अस्तित्व और भूमि के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कई कारक[पैरा 8] [880-सी, डी, ई]

2.2. उच्च न्यायालय ने पक्षों द्वारा पेश किए गये सबूतों का रत्ती भर भी उल्लेख नहीं किया और फैसले में इस बात का बिल्कुल संकेत नहीं दिया गया है कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि रेफरेन्स न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की पुष्टि की जानी आवश्यक है। आदेश XLI नियम 31 सी. पी. सी., के अनिवार्य प्रावधानों उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशों का पूरी तरह से गैर-अनुपालन हआ है। न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया जाता है और भूमि मालिकों और भारत संघ दोनों की अपीलों को कानून के अनुसार नए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।[पैरा 8,9,10,11,15 और 16] [880-एफ, जी; 881-ए]

जी. अमलोरपावम और अन्य। वी. मदुरै के आर. सी. डायोसिस, [2006] एस. सी. सी. 224; गिरिजा नंदिनी देवी बनाम। बिजेंद्र नारायण चौधरी, आकाशवाणी 1967) एससी 1124 और संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी, [2001] एस. सी. सी.179, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधीकारः 2003 की सिविल अपील सं. 2108-2194

एफ. ए. 297/97, एफए 338/97, एफए 339/97, एफए 351/97, एफए 402/97, एफए 217/98, एफए 372/98, एफए 454/98, एफए 481/98, एफए 539/98, एफए 542/98, एफए 548/98, एफए

132/99, एफए 311/97, एफए 312/97, एफए 328/97, एफए 340/97,340/98, एफए 441/97 , एफए 79/98, एफए 143/98, एफए 187/98, एफए 194/98, एफए 200/98, एफए 87/98, एफए 257/98, एफए 389/98, एफए 30/99, एफए 121/99, एफए 254/99, एफए 276/98, एफए 468/98, एफए 17/99, एफए 20/99, एफए 257/99, एफए 377/98, एफ. ए. 363/98, एफ. ए. 373/98, एफ. ए. 403/98, एफ. ए. 453/98, एफ. ए. 545/98, एफ. ए. 181/99, एफ. ए. 378/98, एफ. ए. 381/98, एफ. ए. 472/98, एफ. ए. 46/99, एफ. ए. 290/99, एफ. ए. 186/99, एफ. ए. 250/99, एफ. ए. 249/99, एफ. ए. 441/98, एफ. ए. 353/98, एफ. ए. 188/98 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के निर्णय और आदेश दिनांकित 01.09.1999 से उत्पन्न।

के साथ

सी.ए. नंबर 2266, 2269-2282, 2099-2107, 2283-2294, 2195-2254, 2267, 2268, 2255-2265, 9511-9522/2003 और 5609-5618/2007

शिप्रा घोष, साधना संधू, सुनील रॉय, आर. सी. कथुरिया, शैल कुमार दिवेदी, बी.के. प्रसाद, अनीता साहनी, अनिल कटियाल, नीरज शर्मा, बी. एस. बंथिया, बी. वी. बलराम दास, सिद्धार्थ दवे, विभा दत्ता मखीजा,एम. एम. कश्यप, मीरा माथुर, ऐश्वर्या भाटी और सी. डी. सिंह उपस्थिति पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जी. पी. माथुर, जे. द्वारा दिया गया।

1 विशेष अवकाश याचिकाओं में अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय और डिक्री दिनांक 1.9.1999 के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं जिसके द्वारा भूमि धारकों और भारत संघ की अपीलों को खारिज कर दिया गया था।

3. भारत सरकार ने स्थित क्षेत्रों में भूमि के बड़े क्षेत्र (4827.63 हेक्टेयर) के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 (1) का 6 (1) के तहत अधिसूचनाएं जारी की। सेना के तोपखाना शाखा के लिए बेरछा और हेमा नाम की दो फायरिंग रेंज क्रैज स्थापित करने के लिए इंदौर जिले की तहसील महू, के गाँव। बेरछा फायरिंग रेंज के लिए 2917.160 हेक्टेयर और हेमा फायरिंग रेंज के लिए 1910.46 हेक्टेयर क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था। अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस मिलने के बाद भूमिधारकों ने आपत्तियां प्रस्तुत की। कलेक्टर, इंदौर द्वारा भूमिधारकों की आपतियों पर प्रासंगिक जांच में विचार कर मुआवजे के संबंध में एक अवार्ड दिया, जिसका भूमिधारकों को भुगतान किया जाना था। भूमिधारकों ने कलेक्टर के फैसले से असंतुष्ट होकर अधिनियम की धारा 18 के अनुसार न्यायालय में रेफरेन्स देने की मांग की। रेफरेन्स न्यायालय ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद एक अवार्ड पारित किया। इसमें बेरचा फायरिंग रेंज में असिंचित और बंजर भूमि के लिए Rs.58,000 प्रति

हेक्टेयर और सिंचित भूमि के लिए Rs.88,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया। हेमा फायरिंग रेंज मुआवजे के संबंध में बंजर भूमि के लिए 58,000 प्रति हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए Rs.88,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया गया। जमींदारों और भारत संघ ने रेफरेन्स न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय ने सभी अपीलों का निर्णय एक सामान्य आदेश द्वारा किया, जो वतर्मान अपीलों में चुनौती का विषय है। उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त आदेश पारित किया और विवाद से निपटने वाले निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "5. हम प्रतिद्वंद्वी विवादों की योग्यता की जांच करना बहुत पसंद करेगें, लेकिन यह किसी के भी हितों की पूर्ति नहीं करेगा। यह केवल संघ के खजाने को लाभ पहुंचाए बिना छोटे भू-धारकों की पीड़ा को बढ़ा सकता है। यह माने कि संघ द्वारा दायर अपीालो को स्वीकार किया जाता है तो भी व्यर्थ साबित होगा क्योंकि रेफरेन्स न्यायायलय द्वारा दिये गये मुआवजे का भुगतान हो चुका है या इस अदालत के आदेशों के तहत भूमिधारकों को भुगतान किए जाने की प्रक्रिया में है और इसकी वसूली की भी बहुत कम या कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार यदि भूमिधारकों की याचिका पर विचार किया जाना है, तो इसमें रेफरेन्स न्यायालय में रिमांड किये जाने की आवश्यकता हो सकती है और

उनके नुकसान और नुकसान के लिए कार्यवाही को वर्षों तक खींचा जा सकता है। इसलिये इन सबको ध्यान में रखते हुये और दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुये हम इस मुकदमे को "जाने दो, जाने दो" की भावना से समाप्त करना उचित समझते है, क्योंकि दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने से भानुमती का पिटारा खुल जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप अंतहीन मुकदमेबाजी के कारण विशेष रूप से गरीब भूमि-धारकों कठिनाई और असुविधा होगी, जिन्हें कथित तौर पर राष्ट्रीय रक्षा के लिए पिछले 11 वर्षों के दौरान काफी पीड़ाओं से गुजरना पड़ा है। यह निर्णय को तार्किक अंत तक ले जाने से कतराने के लिये नहीं है, बल्की दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ और लाभ के लिये मुकदमों को समाप्त करने के लिये है।"

4. दोनों पक्षों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और एक संक्षिप्त और गुप्त आदेश द्वारा फैसला किया है, जो मस्तिष्क का पूरी तरह से गैर-प्रयोग दर्शाता है। पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले पर पक्षकारों द्वाराा प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में नये सिरे से विचाार करने की आवश्कता है।

5. अधिनियम की धारा 54, जहां तक इसके प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, कहती है कि सिविल संहिता प्रक्रिया, 1908, के प्रावधानों के अधीन मूल

फरमानों की अपीलों पर लागू होती है और किसी भी अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, फिलहाल लागू होने पर इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही अपील केवल उच्च न्यायालय में अवार्ड से, या न्यायालय के अवार्ड के किसी भी भाग से की जा सकती है।

6. आदेश एक्स. एल. आई. सी. पी. सी. मूल फरमानों की अपीलों से संबंधित है। आदेश एक्स. एल. आई. नियम 31 में कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और (ए) निर्धारण के लिए बिंदु, (बी) उस पर निर्णय (ग) निर्णय के कारण, और (घ) जहां डिक्री के विरूद्ध अपील की गइ है, उसे उलट दिया गया है, या बदल दिया गया है, जिससे अपीलकतार् को राहत मिलेगी। यह परावधान अनगिनत अवसरों पर विचार के लिए आया है और इसका अर्थ और दायरा समझायाा गया है। हमारे लिए विभिन्न निणर्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है,पर हम; जी, अमरोलपवम और अन्य में दिये गये हालिया आदेश में से एक का उल्लेख करेंगें। वी.आर.सी. मदुरै का सूबा 2006 एससीसी224 , जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा-

यह प्रश्न कि क्या किसी विशेष मामले में आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों का पयार्प्त अनुपालन किया गया है, प्रत्येक मामले में निर्णय की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रावधानों का अनुपालन न करने से निर्णय खराब नहीं हो सकता है और यह पूरी तरह से शून्य है, और यदि इसके साथ् पयार्प्त अनुपालन हुआ है तो इसे नजरअदांज किया

जा सकता है। और उच्च अपीलीय अदालत निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्षो का पता लगाने की स्थिति में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय अदालत को ऐसा करना चाहीए। आदेश् 41 नियम 31 सीपीसी की सभी आवष्यकताओ का अनुपालन करें।लेकिन यदि निणर्य से यह कहना संभव है कि उक्त आवश्यकताओ का पयार्प्त अनुपालन हुआ है और इससे न्याय को नुकसाान नहीं हुआ है, तो यह पयार्प्त होगा। जहां अपीलीय अदालत में रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों पर विचार किया है और उस पर विस्तार से चर्चा की है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है और उसके निषकर्ष कारणों से समर्थित होते है, भले ही बिन्दु अपीलीय अदालत द्वारा तय नहीं किया गया हो, वहां पयार्प्त अनुपालन होता है। आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधनों के साथ और निर्धारण के बिन्दु की अनुपस्थती से निर्णय भी तरह से प्रभावित नहीं होता है। जहां पाटीर्यों के बीच विवाद पर विचारचार करने के लिए निचली अपीलीय अदालत की ओर से एक इमानदार प्रयास होता है एंव संबंधित मामलों को उचीत मूल्याकंन होता है। दोनों पक्षों के साक्ष्य, तथ्यों व अन्य विचारों का वजन व संतुलन स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। निचली अपीलीय अदालत के फैसले के अवलोकन से, यह एक वैध निणर्य होगा। भले ही इसमें इसके लिए बिन्दु शामिल ना हो दृढिनश्यच। निधार्रण के लिए मुद`दे तय करने और फैसले के लिये कारण बताने को अपीलीय अदालत के लिये अनिवार्य बनाने के नियम, का उदेश्शय निर्धारण के लिए उठने वाले पर प्रतिद्वंद्वी विवादों पर अदालत का ध्यान केन्द्रित

करना है। और वादी पक्षों को इसे समझने का अवसर प्रदान करना है।जिस आधार पर निणर्य उन्हें जानने में समक्ष बनाने की दृष्टी से आधारीत है।

निर्णय का आधार और, यदि ऐसा उचित माना जाता है तो धाारा द्वारा प्रदत दितीय अपील के उपाय का लाभ उठाने की सलाह दी गयी 100 सीपीसी।

गिरजा नंदिनी देवी बनाम। बिजेंद्र नारायण चौधरी, ए आइर् आर 1967 एससी 1124 में एक टिप्पणी की गइ थी यह अपीलीय अदालत का कतर्व्य नहीं हैं जब वह साक्ष्य पर ट्राइल कोर्ट के दृष्टीकोण से सहमत हो या तो विभाग को दुबारा बतायें। साक्ष्य ट्राइल कोर्ट द्वारा दिये गये कारणों को दोहराना। न्यायालय के निणर्य, जिनके विरूद्ध अपील की जा रही है, द्वारा दिये गये कारणों के साथ सामान्य सहमती की अभीव्यक्ती सामान्यतः पयार्प्त होगी।

7. गिरजा नंदिनी देवी (उपरोक्त) में उपरोक्त अवलोकन गलत समझा जाता है और कभी-कभी अदालतें भी फैसला सुनाते समय गलत समझती हैं पुष्टिकरण ने साक्ष्य पर विचार न करने का एक शॉर्टकट तरीका अपनाया है बल्कि केवल द्वारा दिए गए कारणों से सामान्य सहमति व्यक्त कर रहा है निचली अदालत। इस मामले पर संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम में विचार किया गया था तिवारी, [2001] 3 एससीसी 179, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया:-

"अपीलीय अदालत के पास ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलटने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है। पहली अपील पार्टियों का एक मूल्यवान अधिकार है और जब तक कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक पूरा मामला तथ्य और कानून दोनों के सवालों पर दोबारा सुनवाई के लिए खुला है। निर्णय इसलिए, अपीलीय अदालत को अपने दिमाग के सचेत अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और अपीलीय अदालत के निर्णय के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए और उठाए गए सभी मुद्दों के साथ उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर कारणों से समर्थित निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना चाहिए। अपीलीय अदालत द्वारा ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करना आसान है। ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमत होने वाली अपीलीय अदालत को साक्ष्य के प्रभाव को दोबारा बताने या ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है; कारणों के साथ सामान्य सहमति की अभिव्यक्ति अदालत द्वारा दिया गया निर्णय, जिसका निर्णय अपील के अधीन है, आमतौर पर पर्याप्त होगा (गिरजा नंदिनी देवी बनाम बिजेंद्र नारायण चौधरी देखें)। हालाँकि, हम सावधानी बरतना चाहेंगे। में दर्ज निष्कर्षों के साथ सामान्य सहमति की अभिव्यक्ति जी अपील के तहत निर्णय अपीलीय अदालत द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्य से बचने के लिए अपनाया गया एक उपकरण या छलावरण नहीं होना चाहिए।

उलटफेर का निर्णय लिखते समय अपीलीय अदालत को दो सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सबसे पहले, परस्पर विरोधी तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष ट्रायल कोर्ट द्वारा पहुंचाए गए साक्ष्य को अपीलीय अदालत के साथ तौला जाना चाहिए, खासकर तब जब निष्कर्ष उसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए मौखिक साक्ष्य पर आधारित हों जो निर्णय लिखता है। इसका निश्चित रूप से यह मतलब नहीं है कि जब कोई अपील तथ्यों पर आधारित होती है, तो अपीलीय अदालत ट्रायल जज द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में सक्षम नहीं है। कानून के मामले में यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन किसी भौतिक अनियमितता से ग्रस्त है या अस्वीकार्य साक्ष्य या अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है, तो अपीलीय अदालत तथ्य की खोज में हस्तक्षेप करने की हकदार है।"

8. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों का एक कण भी संदर्भित नहीं किया है। बड़ी संख्या में भूमिधारक थे जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी और उन्होंने अधिनियम की धारा 9 के तहत अलग-अलग आपत्तियां दायर की थीं और अधिनियम की धारा 18 के तहत अलग से संदर्भ मांगे थे। उनके पास संदर्भ न्यायालय के समक्ष अपने मामलों के समर्थन में अलग से सबूत थे। यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक ही मामले में बड़ी संख्या में पक्ष हों और पेश किए गए

सबूत उन सभी के लिए सामान्य हों। मुआवजे के निर्धारण के मामले में बड़ी संख्या में कारकों को देखना होगा, अर्थात् डी की प्रकृति और गुणवत्ता भूमि, चाहे सिंचित हो या असिंचित, सिंचाई के लिए सुविधाएं जैसे कुएं आदि की मौजूदगी, फल देने वाले पेड़ों की उपस्थिति, भूमि का स्थान, किसी सड़क या राजमार्ग से निकटता, भूमि की समतलता, अर्थात् क्या इसका स्तर सम है या वहां गड्ढे आदि हैं, बरसात के मौसम में उसकी स्थिति, अर्थात्, बारिश में पानी जमा होता है या नहीं, किसी इमारत या संरचना का अस्तित्व और भूमि के मूल्यांकन पर असर डालने वाले कई कारक।

9. उच्च न्यायालय ने सबूतों के एक भी टुकड़े का जिक्र नहीं किया है और फैसले में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि संदर्भ अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की जानी चाहिए।

10. ऑर्डर एक्सएलआई नियम 31 सीपीसी के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह से गैर-अनुपालन होने के कारण हमारे पास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने और अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और निर्णय तथा उच्च न्यायालय की डिक्री दिनांक 1.9.1999 को निरस्त किया जाता है। अपीलें (भूमिधारकों द्वारा और भारत संघ द्वारा भी) कानून के अनुसार नए

निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में भेजी जाती हैं। पार्टियाँ अपना खर्च स्वयं वहन करें।

सिविल अपील संख्या 2007 (@एस.एल.पी. (सी) संख्या 740-41 ऑफ 2004

12. ये अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

13. राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के बड़े क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4(1) और 6(1) के तहत अधिसूचनाएं जारी कीं। अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद भूमिधारकों ने आपत्तियां दाखिल कीं। कलेक्टर ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद सूखी भूमि के लिए 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का फैसला सुनाया। अवार्ड से व्यथित होकर भूमिधारकों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा। संदर्भ न्यायालय ने मुआवज़ा बढ़ाया और शुष्क भूमि के लिए 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि के लिए 33,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया। संदर्भ न्यायालय के फैसले के खिलाफ भूमिधारकों ने अधिनियम की धारा 54 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अत्यंत संक्षिप्त और गूढ़ आदेश द्वारा अपीलों का निर्णय लिया और न्यायमूर्ति आर.डी.

व्यास और न्यायमूर्ति शंभू सिंह की उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित संपूर्ण निर्णय नीचे दिया गया है: -

"ये अपीलें प्रथम अपील संख्या 254/97 के मामले में समान अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं और 01.09.99 को न्यायमूर्ति बी.ए. खान और न्यायमूर्ति शंभू सिंह की खंडपीठ में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए समूह को एक साथ लिया गया है। पक्षकारों के अनुरोध पर प्रथम अपील क्रमांक 134/95 एवं प्रथम अपील क्रमांक 223/96 को आज ही सुनवाई हेतु लिया जाकर समूह के साथ निराकरण किया गया। मुआवज़ा इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में तय किए गए सिद्धांत और राशि द्वारा शासित होगा जैसा कि उक्त निर्णय में पुष्टि की गई है, असिंचित भूमि को रु.58,000/- प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित भूमि को रु.88,000/- प्रति हेक्टेयर का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। दावेदारों/भूमि धारकों द्वारा दायर अपील में जमा की गई कोर्ट फीस उपरोक्त निर्णय के निर्देशों के अनुसार उन्हें वापस कर दी जाएगी, इस निर्णय की एक प्रति संबंधित अपील में रखी जाएगी।"

14. अपीलकर्ता मध्य प्रदेश राज्य ने उपरोक्त निर्णय और डिक्री दिनांक 27.6.2000 के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की। समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि मामला नागरिक

प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के दायरे में नहीं आता है और तदनुसार आठ पंक्तियों के एक संक्षिप्त आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया।

15. चूँकि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने इसका अनुसरण किया है निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.9.1999, जो ऊपर उद्धृत किया गया है चूँकि हमने उक्त निर्णय को रद्द कर दिया है और मामले को वापस भेज दिया है नए सिरे से विचार, निर्णय और डिक्री के लिए उच्च न्यायालय को वर्तमान में चुनौती के तहत अपीलों को भी अलग रखा जाना चाहिए।

16. तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं और दिनांक 27.6.2000 के निर्णय और डिक्री और दिनांक 22.3.2002 की समीक्षा याचिका में पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलों को कानून के अनुसार नए विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। पार्टियाँ अपना खर्च स्वयं वहन करें।

एन.जे.

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संगीता(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।